

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2022—ज्येष्ठ 10, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र.—एफ 3-3-2022-छब्बीस-1.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

- (1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

अनुसूची-“दो”

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए निन्हांकित पदों की संख्या का कुल योग (6 %)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8+9)	अभ्युक्ति	
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)			ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	सहायक यंत्री	322	322	19	3	7	7	2	19	
तृतीय	उपयंत्री	1459	1459	88	10	34	36	8	88	
	योग	1781	1781	107	13	41	43	10	107	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 31st May, 2022

No.F-3-3/2022/26-1 :: In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), for the identification of the posts for the disabled persons, under the provisions of Rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the disabled persons as per the specifications prescribed in Schedule-2 in the establishment of Panchayat & Rural Development Department of Schedule-1, namely:-

Schedule - 1

(1) Panchayat & Rural Development Department

Schedule - 2**Identification of Posts for the Disabled Persons****Department- Panchayat & Rural Development Department (Rural Engineering Services)**

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and no.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Assistant Engineer	322	322	19	3	7	7	2	19	
III	Sub Engineer	1459	1459	88	10	34	36	8	88	
	Total	1781	1781	107	13	41	43	10	107	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHEELENDRA SINGH, Dy. Secy.